कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 840 राँची, दिनांक :– 27 –07–2018 ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेदिनीनगर वन प्रमण्डल अन्तर्गत पलामू जिला के सदर अंचल, मेदिनीनगर के ग्राम–पोखराहा खूर्द में केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु 4.04 हे0 (10 एकड़) जंगल झाड़ी भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का पत्रांक 350 दिनांक 30.01.2018 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल मेदिनीनगर का पत्रांक 1621 दिनांक 17.07.2018**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न करते हुए विषयगत परियोजना के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव की Hard Copy पाँच प्रतियों में तथा Online प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदनीनगर के प्रतिवेदनानुसार विषयक प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

1. यह प्रस्ताव पलामू जिलान्तर्गत मेदिनीनगर वन प्रमंडल से संबंधित है।
2. इस परियोजना में अपयोजन हेतु प्रस्तावित सभी 4.04 हे0 भूमि जंगल–झाड़ी वनभूमि है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	अंचल	ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट नं0	किस्म	रकबा	किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सदर मेदिनीनगर	पोखराहा खूर्द	205	85	1375	टांड़–III	10 एकड़	जंगल–साखू

अनु0–03

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित फार्म A Part 1 में अभियुक्ति तथा परियोजना के संबंध में विस्तृत ब्योरा दर्ज कर समर्पित किया गया है। **अनु0–01**
5. प्रस्ताव के साथ पार्ट–II एवं III में क्रमशः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का मंतव्य एवं आवश्यक प्रविष्टि दर्ज है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदनीनगर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुशंसा भी संलग्न है।
6. वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् उपायुक्त पलामू का पत्रांक 614 दिनांक 27.06.2017 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न। **अनु0–04**
7. इस परियोजना में प्रयुक्त 4.04 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि के उपयोग के संबंध में उपायुक्त पलामू का पत्रांक 1527 दिनांक 08.08.2017 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। **अनु0–05**

8. वृक्षों की गणना सूची पार्ट-II में दर्ज है। जिसमें वृक्षों की संख्या Nil है। प्रस्तावित वनभूमि वनस्पति घनत्व शून्य दर्ज है।
9. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर के अनुसार इस परियोजना में किसी भी प्रकार की Violation की सूचना नहीं है।
10. प्रस्ताव के साथ KML file Geo reference नक्शा एवं Shape File संलग्न है। **अनु0–06**
11. Proposed Building का Campus layout plan प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता दी गई है।
12. मौजा मानचित्र पर प्रस्तावित क्षेत्र को लाल रंग से दर्शाते हुए संलग्न है। **अनु0–08**
13. टोपोमैप 1:50000 स्केल पर प्रस्तावित स्थल को पीला रंग से दर्शाते हुए नक्शा संलग्न है। **अनु0–07**
14. चुँकि प्रस्तावित रकबा 5.0 हे0 से कम है, तथा यह LWE जिला में अवस्थित है, अतः क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि की आवश्यकता नहीं है।
15. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी, बायोस्फेयर रिजर्व, गज कोरिडोर, व्याघ्र परियोजना का हिस्सा नहीं है।
16. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची से संचिका में प्राप्त उनके मन्तव्य के अनुसार भी ***"प्रस्तावित स्थल किसी नेशनल पार्क/वन्यप्राणी का हिस्सा अथवा उसके Eco Sensetive Zone का हिस्सा नहीं है।"***
17. जिले से संबंधित मूलभूत सूचनाएँ प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
18. प्रस्ताव के साथ A.C.W.L.W. मेदिनीनगर का मंतव्य प्रस्ताव के साथ संलग्न है। **अनु0–09**
19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि जमा करने हेतु वचनवद्धता दी गई है।
20. प्रस्ताव के साथ पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज है।
21. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा प्रस्ताव को Online कर Time line पत्र के साथ संलग्न है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 4.04 हे0 (जंगल–झाड़ी) वनभूमि अपयोजन की अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी इससे सहमत है। अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का रकबा 5.0 हे0 से कम है तथा L.W.E. जिले में अवस्थित है। प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए, अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 4.04 हे0 वनभूमि के अपयोजन हेतु Stage-I की स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।
प्रस्ताव की दो मूल प्रति के साथ।

विश्वासभाजन,

27.07.18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक–वन भूमि–151/2017 350

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर।

प्रेषक,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू, मेदिनीनगर।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
–सह– कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

मेदिनीनगर, दिनांक 30-01-18

विषय :– मेदिनीनगर वन प्रमण्डल अन्तर्गत पलामू जिला के सदर अंचल, मेदिनीनगर के ग्राम–पोखराहा खूर्द में केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु 4.04 हे0 (10 एकड़) जंगल झाड़ी भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि मेदिनीनगर वन प्रमण्डल अन्तर्गत पलामू जिला के सदर प्रखण्ड, मेदिनीनगर के ग्राम–पोखराहा खूर्द में 4.04 हे0 (10 एकड़) जंगल–झाड़ी भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु भूमि अपयोजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अपयोजित होने वाली 4.04 हे0 (10 एकड़) जंगल–झाडी भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

क्र0 सं0	अंचल	ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	किस्म	रकबा	किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सदर मेदिनीनगर	पोखराहा खूर्द	205	85	1375	टांड–III	10 एकड़	जंगल–झाड़ी

4.04 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि अपयोजन प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न है :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा फॉर्म–1 (पार्ट–1) में आवश्यक प्रविष्टि।
2. केन्द्रीय विद्यालय, बरकाकाना, पो0–बरकाकाना, जिला–रामगढ़ द्वारा उपायुक्त, पलामू को संबोधित (lay out of proposed K.V. Building) के संबंध में पत्र संख्या AVBARKA दिनांक 25.11.2017 द्वारा किया गया अनुरोध।
3. Lay out plan समर्पित करने का Undertaking
4. N.P.V. की राशि भुगतान करने हेतु Undertaking

5. झारखण्ड सरकार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची के पत्र संख्या 898 दिनांक 02.06.2017 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राधिकार पत्र।
6. उपायुक्त, पलामू द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र तथा आम सभा बैठक की कार्यवाही।
7. उपायुक्त, पलामू द्वारा जगल–झाड़ी (वन भूमि) का अनापति प्रमाण पत्र।
8. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा दिया गया Justification
9. कैडेस्ट्रल मानचित्र पत्र अपयोजित होने वाली भूमि का प्रर्दशित मानचित्र।
10. टोपो सीट पर प्रस्तावित स्थल का मानचित्र।
11. प्रस्तावित स्थल का Boundary मानचित्र।
12. K.M.L. File in C.D.
13. Geo referance Map in digital plan in shap file (C.D.)
14. लागत लाभ विश्लेषण।
15. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा पार्ट–2 में आवश्यक प्रविष्टि।
16. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल का क्षेत्र निरीक्षण तथा अनुशंसा।
17. वन भूमि की विवरणी।
18. पार्ट–3 में वन संरक्षक, प्रादेशित अंचल, मेदिनीनगर द्वारा आवश्यक प्रविष्टि, क्षेत्र निरीक्षण प्रतिवेदन तथा उप मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक के रूप में वन्य प्राणी के संबंध में प्रतिवेदन।
19. पार्ट–3 A में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर द्वारा आवश्यक प्रविष्टि तथा अपर मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक के रूप में मंतव्य।

अनुरोध है कि मेदिनीनगर वन प्रमण्डल अन्तर्गत ग्राम–पोखराहा खूर्द में 4.04 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि के अपयोजन प्रस्ताव को अनुशंसित कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव की पांच प्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

29/1/18

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
पलामू, मेदिनीनगर।

File: All staff/S.K./Forwarding letter 003

कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।
Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar
ईमेल / Email: cfmedininagar@ gov.in,
दूरभाष /Mobile No-8987790232

पत्रांक– 1621

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

मेदिनीनगर, दिनांक– 17/07/2018

विषयः– **मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत पलामू जिला के सदर अंचल, मेदिनीनगर के ग्राम–पोखराहा खुर्द में केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु 4.04 हे. वन भूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंगः– **आपका पत्रांक 159 दिनांक 06.02.2018।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत पलामू जिला के सदर अंचल, मेदिनीनगर के ग्राम–पोखराहा खुर्द में केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु 4.04 हे. वन भूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन के प्रस्ताव के संदर्भ में पाँच विन्दुओं पर की गयी पृच्छाओं के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 3380 दिनांक 12.07.2018 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया है।

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1618 दिनांक 17.07.2018 द्वारा विषयक मामले की संचिका वन, पर्यावरण एवं जलवायु परितर्वन विभाग, झारखंड सरकार के पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के निर्देश के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर की सहमति प्राप्त करने हेतु भेजी गयी। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर के अनुमोदन के आलोक में निराकरण प्रतिवेदन की छः–छः प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही हैं।

अनु:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

17/7/18

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,मेदिनीनगर।

17/7/18

P.F Sec-6

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

KENDRIYA VIDYALAYA, MEDININAGAR 4.04 ha. FOREST LAND.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 4.04 ha. Forest land.

Date :- 27.07.2018

Place :- Ranchi.

Signature

27.07.2018

(SHASHI NANDKEOLYAR)
Nodal Officer
Name & Designation

(Official Seal)